निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1941 (श0)

(सं0 पटना 136) पटना, बुधवार, 12 फरवरी 2020

सं० 01/रेगु०—6—6004/2012—पार्ट—221
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प
11 फरवरी 2020

विषयः— **राज्य में Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम की 8 (आठ) इकाइयों यथा लोहट, हथुआ (डिस्टीलरी), बनमंखी, वारिसलीगंज, गोरौल, गुरारू, न्यू सावन एवं सीवान तथा उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित किये जाने एवं बियाडा द्वारा भूमि को लीज पर आवंटित कर राशि सरकारी कोष मे जमा करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।**

बिहार राज्य चीनी निगम की 15 (पन्द्रह) इकाइयों एवं दो डिस्टीलरियों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु SBI Caps के माध्यम से पाँच निविदा प्रक्रियायें सम्पन्न हुई। **प्रथम** निविदा प्रक्रिया अन्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम की पाँच बंद चीनी मिलों (लौरिया (डिस्टीलरी सहित), सुगौली, मोतीपुर, लोहट एवं रैयाम) को लंबी अवधि के लीज पर पुनर्जीवित हेतु निवेशक तकनीकी रूप से सफल हुए। **द्वितीय** निविदा प्रक्रिया में रैयाम सहित कुल 11 इकाइयों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें से मात्र रैयाम, सकरी एवं गुरारू इकाइयों के लिए ही सफल बिडर प्राप्त हो पाये। **तृतीय** निविदा प्रक्रिया अन्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन तीन मिलें यथा मोतीपुर, बनमंखी एवं बिहटा हेतु निवेशक तकनीकी रूप से सफल हुए। इन तीनों निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अबतक लौरिया (डिस्टीलरी सहित), सुगौली, मोतीपुर एवं रैयाम में गन्ना आधारित उद्योग एवं सकरी तथा बिहटा में अन्य उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन तीनों निविदा प्रक्रियाओं के सम्पन्न होने के पश्चात् भी निगम की 9 इकाइयों यथा बनमंखी, लोहट, समस्तीपुर, हथुआ (डिस्टीलरी सहित), सीवान, न्यू सावन, गोरौल, गुरारू एवं वारिसलीगंज का निस्तार नहीं हो पाया है। इस हेतु **चतुर्थ** निविदा प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इस निविदा प्रक्रिया से लोहट इकाई को चीनी मिल के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु मेसर्स डालमिया भारत सुगर्स एवं इन्डस्ट्रीज लि० एवं समस्तीपुर इकाई को जूट मिल एवं खाद्य प्रसंस्करण उधोग के रूप में विकसित करने हेतु मेसर्स विनसम इन्टरनेशनल को लम्बी अवधि के लीज हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। इन चारो निविदा प्रक्रिया के पश्चात् निगम की 8 इकाइयों का निस्तार नहीं हो पाया। **पंचम** निविदा प्रक्रिया में इन इकाइयों को गन्ना उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु कोई भी निविदाकर्त्ता उपलब्ध नहीं हो पाये। मात्र गोरौल एवं वारिसलीगंज में सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु एकल निविदा प्राप्त हुए। उपर्युक्त के आलोक में पंचम निविदा

आमंत्रित करने के पश्चात् इन इकाइयों को गन्ना आधारित उद्योगों के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पायें।

2. बिहार राज्य चीनी निगम की शेष आठ इकाइयों यथा लोहट, हथुआ (डिस्टीलरी), बनमंखी, वारिसलीगंज, गोरौल, गुरारू, न्यू सावन एवं सीवान के लिए SBI Caps द्वारा तैयार किये गये भूमि की उपलब्धता एवं उसका मूल्य निम्नवत् हैः–

क्रम संख्या	इकाई का नाम	इकाई की कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)	SBI Caps द्वारा बाजार दर पर निर्धारित मूल्य (करोड़ रू० में)
1	लोहट	213.00	70.43
2	हथुआ (डिस्टीलरी सहित)	105.29	196.66
3	बनमंखी	118.55	96.23
4	वारिसलीगंज	73.58	67.03
5.	गोरौल	54.41	32.80
6.	गुरारू	27.36	34.83
7.	न्यू सावन	28.30	122.46
8.	सीवान	32.58	130.92
	कुलः–	**653.07**	**751.36**

3. SBI Caps के प्रतिवेदन के अनुरूप इन इकाइयों के साथ उपलब्ध **Usable Plant & Machinery** तथा Scrap का valuation निम्नवत हैः–

Sl. No.	**Unit**	**Usable P & M (earlier valuation) (A)** (Rs. in crore)	**Scrap (earlier valuation) (B)** (Rs. in crore)	**Total Value (A+B)** (Rs. in crore)
1	बनमंखी	8.63	0.51	9.14
2	गोरौल	0.00	3.44	3.44
3	गुरारू	0.00	2.83	2.83
4	हथुआ (डिस्टीलरी सहित)	20.45	2.12	22.57
5	लोहट	7.28	1.96	9.24
6	न्यू सावन	0.00	0.64	0.64
7	सीवान	0.00	2.60	2.60
8	वारिसलीगंज	0.00	2.39	2.39
	कुलः	**36.36**	**16.49**	**52.85**

4. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित इकाइयों के साथ फार्म लैण्ड भी उपलब्ध है–

क्रम संख्या	बिहार राज्य चीनी निगम की इकाइयों का नाम	**SBI Caps के प्रतिवेदन के अनुसार शेष उपलब्ध फार्म लैण्ड का रकवा (एकड़ में)**
01.	सकरी, जिला–मधुबनी	46.99
02.	सुगौली, जिला–पूर्वी चम्पारण	55.03
03.	मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर	897.40
04.	बिहटा, जिला–पटना (RFQ के अनुसार बिहटा एवं नावानगर, बक्सर में)	789.92
	कुलः–	**1789.34**

5. उपर्युक्त के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम के निदेशक पर्षद् की दिनांक–21.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में निगम की शेष आठ इकाई लोहट, हथुआ (डिस्टीलरी), बनमंखी, वारिसलीगंज, गोरौल, गुरारू, न्यू सावन एवं सीवान की भूमि कुल 653.07 एकड़ एवं सकरी, सुगौली, मोतीपुर एवं बिहटा इकाई जिला पटना तथा बक्सर में स्थित शेष फार्म लैण्ड कुल 1789.34 एकड़ यानि कुल 2442.41 एकड़ भूमि को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–52 दिनांक–14.03.2018 के आलोक में "जैसा है, जहाँ है" (As is where is) के आधार पर बिहार की चीनी मिलों की भूमि/भवन आदि को BIADA को हस्तानांतरित किये जायेंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) इन भूमि/भवनों को बियाडा अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत लीज पर आवंटन कर उससे प्राप्त राशि बियाडा द्वारा नियमानुसार सरकार के कोष में जमा की जायेगी।

बियाडा द्वारा लीज पर भूमि/भवनों का आवंटन प्रधान सचिव, उधोग विभाग की अध्यक्षता में गठित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के मूल्य निर्धारण समिति जिसमें निबंधन एवं राजस्व विभाग के सचिव/प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जायेगी।

6. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–18.12.2019 की बैठक में मद संख्या–23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० जवाहर लाल सिन्हा,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 136–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in